

SECOND REPORT

(Presented to hon'ble Speaker on 24 February 2016
Tabled in the House on 30 March, 2016)


COMMITTEE ON ETHICS
VI LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Personnel of the Committee on Ethics

	Mr. Narayan Dutt Sharma	-	Chairman
2.	Mr. Raghuwinder Shokeen	-	Member
3.	Ms. Bhavna Gaur	-	Member
4.	Mr. S.K Bagga	-	Member
5.	Mr. Raju Dhingan	-	Member
6.	Mr. Dinesh Mohaniya	-	Member
7.	Mr. Amanatullah Khan	-	Member
8.	Ch. Fateh Singh	-	Member
9.	Mr. Saurabh Bharadwaj	-	Member

Secretariat

	Mr. Prasanna Kumar Suryadevara	-	Secretary
	Mr. Rajender Prashad	-	Dy. Secy.



"I have always derived my politics from ethics ...

It is because I swear by ethics that I find myself in politics"

.....

INDEX

	<i>Page No.</i>
1. INTRODUCTION	1
2. PROCEEDINGS	3
3. CONCLUSIONS	9
4. RECOMMENDATIONS	12

INTRODUCTION

1. On 24 November, 2015 (Tuesday) at around 4.10 P.M. when the House was discussing the matter of *alleged shortage and mismanagement of night shelters in Delhi* under Rule 54, the hon'ble Speaker Mr. Ram Niwas Goel sprang to his feet and said "...ओम प्रकाश जी, ये बद्तमीज़ी नहीं चलेगी. ये बहुत बद्तमीज़ी है आपकी." ("*Om Prakash ji, ye badtameezi nahin chalegi. Ye bahut badtameezi hai aapki*"). The shocked House turned uproarious. Hon'ble Speaker asked Mr. Om Prakash Sharma, hon'ble Member of the House to withdraw from the House pointing out that Mr. Om Prakash Sharma had used highly objectionable and insulting words against a woman Member of the House.

2. Many Members started demanding immediate action against Mr. Om Prakash Sharma and some of them, including a few women Members, rushed to the well of the House. Amidst demands from the floor for punitive action against Mr. Om Prakash Sharma, Hon'ble Speaker while expressing his anguish and anger at the turn of events, informed the House from the Chair that Shri Om Prakash Sharma used the words "रात भर घूमने वाली" ("*raat bhar ghoomne waali*") to describe Ms. Alka Lamba, a Member of the House. Hon'ble Speaker was also on record complimenting Mr. Vijendra Gupta, Hon'ble Leader of Opposition for trying to restrain Mr. Om Prakash Sharma, who, when the incident occurred, was occupying the seat (no. 99) next to Shri Gupta, a seat that officially belongs to Shri Jagdish Pradhan, a Member of the House.

3. As the uproar continued, Mr. Om Prakash Sharma withdrew from the House. With many of the Members continuing with the demand for instantaneous and stringent action against Mr. Om Prakash Sharma, no other business could be transacted in the House during the remaining part of the day. The House witnessed two unscheduled adjournments before being adjourned for the day at around 5.40 P.M.

4. At the next sitting of the House i.e. on 26 November, 2015 (Thursday) the women Members continued their protest from the well of the House and were supported by most of the Members present in the House who demanded that stringent punishment be handed to Mr. Om Prakash Sharma by the House immediately.

5. Thereupon, Mr. Kapil Mishra, hon'ble Minister of Tourism & Water moved the following Motion with the permission of the Chair:

"That this House decides that the unfortunate incident of 24.11.2015 wherein Shri Om Prakash Sharma, a Member of this House made derogatory remarks against a woman Member of this House be referred to the Ethics Committee of the House for consideration, investigation and report. The Committee shall have full freedom to decide on the procedure to be followed in the matter and shall submit its report before the first sitting of the next session."

6. With the House adopting the motion with voice vote, the matter stood referred to the Committee on Ethics.

7. Thereafter Mr. Kailash Gehlot, hon'ble Member, told the House that Mr. Om Prakash Sharma used highly objectionable language against hon'ble Speaker and moved the following Motion with the permission of the Chair:

"That this House condemns the derogatory remarks made against hon'ble Speaker by Shri Om Prakash Sharma both within the House as well as during his interaction with the media;

and

That this House decides that Shri Om Prakash Sharma be suspended from the sitting of the House for the entire duration of the ongoing Session."

8. With the House adopting the motion with voice vote, Mr. Om Prakash Sharma stood suspended from the service of the House for the period of the ongoing Session i.e. the Second Session of the Sixth Legislative Assembly.

9. The women Members, in the meanwhile, continued with their protest seeking immediate action against Mr. Om Prakash Sharma. After the House witnessed two unscheduled adjournments on this matter, hon'ble Deputy Chief Minister appealed to the women Members who were staging a sit-in protest in the well of the House, to have faith in the Committee on

Ethics and resume their seats. This was followed by assurance from the Chair that the Committee on Ethics would submit its report on the matter before the first sitting of the next Session. The women Members finally relented and went back to their seats.

PROCEEDINGS

First Sitting - 27 November, 2015:

10. Keeping in view the indignation prevalent in the House and the time limit imposed by the House, the Committee on Ethics, without wasting any time, held its first sitting on the matter on 27 November, 2015 (Friday). The Committee watched the audio-visual recording of the proceedings of the House of 24 November, 2015 as was available with the Secretariat of the Legislative Assembly. It was the recording of the proceedings as was webcast live on 24 November, 2015. Thereafter, the Committee decided that Mr. Om Prakash Sharma, hon'ble Member be requested to appear before the Committee on 30 November, 2015 (Monday).

Second Sitting - 30 November, 2015:

11. Mr. Om Prakash Sharma, hon'ble Member deposed before the Committee on Ethics when it met for the second time on this matter on 30 November, 2015. When asked about his conduct in the House on 24 November, 2015, Mr. Om Prakash Sharma traced the incident back to August, 2015 when Ms. Alka Lamba allegedly vandalised his shop located at Yamuna Bazaar allegedly resulting in registration of an FIR against her. He told the Committee that Ms. Alka Lamba made remarks such as "नशे का सौदागर" ("*nashe ka saudagar*") and "जहरीला प्रसाद बेचने वाला" ("*zahrila prasad bechne wala*") against him. In reaction to these actions by Ms. Alka Lamba, he described her as "रात भर घूमने वाली" ("*raat bhar ghoomne waali*"), Mr. Om Prakash Sharma averred before the Committee. When specifically asked whether he used the words "रात भर घूमने वाली" ("*raat bhar ghoomne waali*") to describe Ms. Alka Lamba, Mr. Om Prakash Sharma replied in affirmative.

12. During the course of his deposition, not even once did he dispute that he used the words "रात भर घूमने वाली" ("*raat bhar ghoomne waali*") against Ms. Alka Lamba. The Committee asked Mr. Om Prakash Sharma if he had any regrets over his conduct in using such derogatory language against a fellow woman Member

of the House. Mr. Om Prakash Sharma told the Committee that he does not regret what he had said and he stood by what he had said. He went on to clarify that his utterances were only in reaction to what Ms. Alka Lamba had allegedly done at his shop in August, 2015 and what she had allegedly said against him on the floor of the House.

13. On Mr. Om Prakash Sharma's request, the Committee directed the Secretariat to make available the complete audio-visual recording of the proceedings of the House, as was webcast live on 24 November, 2015, to Mr. Om Prakash Sharma. As directed by the Committee, the Secretariat of the Legislative Assembly promptly handed over a DVD containing audio-visual recording to Mr. Om Prakash Sharma on 30 November, 2015. Mr. Sharma was asked to appear before the Committee on 02 December, 2015 (Wednesday).

Third Sitting - 02 December, 2015:

14. Mr. Om Prakash Sharma deposed before the Committee in its third sitting held on 02 December, 2015 and asked for the verbatim transcript of the proceedings of the House of 24 November, 2015. When asked as to what he had to say after watching the audio-visual recording of the proceedings of the House of 24 November, 2015, he took the plea that he needed the full transcript so that he could adequately defend himself before the Committee. Thereupon the committee directed the Secretariat to provide verbatim transcript of the proceedings of the House as demanded by Mr. Om Prakash Sharma by the evening of the next day i.e. 03 December, 2015 (Thursday). The Secretariat duly complied with the directions of the Committee.

Fourth Sitting - 08 December, 2015:

15. Mr. Om Prakash Sharma once again deposed before the Committee in its fourth sitting held on 08 December, 2015 (Tuesday). He was asked by the Committee as to what he had to say in his defence after going through the audio-visual recording and verbatim transcript of the proceedings of 24 November, 2015. He submitted a letter dated 08 December, 2015 addressed to hon'ble Chairman of the Committee on Ethics wherein he had alleged that verbatim transcript provided to him by the Secretariat is incomplete and he needs a month's time to gather evidence from private Channels etc. He made a similar request verbally also before the Committee. In response the Committee granted Mr.

Om Prakash Sharma, a time of 15 more days so as to enable him to gather evidence as desired by him.

Fifth Sitting - 23 December, 2015:

16. In the fifth sitting of the Committee on Ethics held on 23 December, 2015 (Wednesday), Mr. Om Prakash Sharma insisted that the Committee ask him specific questions from specific pages of verbatim transcript of the proceedings of 24 November, 2015. Mr. Om Prakash Sharma took the plea that the verbatim transcript of proceedings is incomplete and alleged that Ms. Alka Lamba, on the day of incident under examination, shouted at him and even tried to slap him twice.

17. The Committee again asked him if he had used the words "रात भर घूमने वाली" ("*raat bhar ghoomne waali*") to describe Ms. Alka Lamba to which Mr. Om Prakash Sharma replied in affirmative. Asked if he had felt any remorse for having used such derogatory words against Ms. Alka Lamba in the House, Mr. Om Prakash Sharma replied in negative. He stated that his intention was not wrong. When asked what his intention was Mr. Om Prakash Sharma refused to elaborate. He went on to say that Ms. Alka Lamba herself claimed that she had visited night shelters at 2.00 A.M. and as a part of her de-addiction campaign went to drug addicts at 4.00 A.M. or 5. 00 A.M. and said he only repeated what Ms. Alka Lamba proclaimed about herself when he described her as "रात भर घूमने वाली" ("*raat bhar ghoomne waali*").

18. The Committee asked Mr. Om Prakash Sharma if he wished to present any further evidence or engage a lawyer in his defence. He stated that he was capable of defending himself. When the committee reminded him that he was allowed extra time as sought by him to gather evidence from private Channels and other sources, Mr. Om Prakash Sharma stated that he no longer wished to use that option. He also made it clear that he had nothing more to tell the Committee.

Sixth Sitting - 20 January, 2016:

19. The Committee on Ethics held its sixth sitting on 20 January, 2016 (Wednesday). Ms. Alka Lamba was summoned before the Committee and was in attendance. Ms. Alka Lamba refuted the charges made by Mr. Om Prakash Sharma against her. Asked about Mr. Om Prakash Sharma's specific allegations against her when he had said before the Committee that she had shouted at

Mr. Sharma and tried to slap him twice in the House on 24 November, 2015, Ms. Alka Lamba told the Committee that many Members that day were agitated when Mr. Om Prakash Sharma used foul language against her and many even rushed to the well of the House to protest against indecorous behaviour of Mr. Om Prakash Sharma. Ms. Alka Lamba admitted that enraged by the utterances of Mr. Om Prakash Sharma, she too had rushed to the well of the House and expressed regrets before the Committee for having done the same. She had assured the Committee that she would be careful in future. She also told the Committee that Hon'ble Speaker himself was on record expressing anguish at repeated utterances such as "नशेड़ी" ("*nashedi*"), "गुंडी" ("*gundi*") by Mr. Om Prakash Sharma against her and had to warn Mr. Sharma on the floor of the House. She also told to the Committee that she had been receiving threats.

20. In the light of submission made by Ms. Alka Lamba before the Committee, it was decided to give one more opportunity to Mr. Om Prakash Sharma to come before the committee to put forth his views. The Committee also agreed to the suggestion made by a Member of the Committee to request Mr. Sajeew Jha, a Member who occupies seat no. 81 in the House, to depose before the Committee in its next sitting.

Seventh Sitting - 28 January, 2016:

21. In the seventh sitting of the Committee on Ethics held on 28 January, 2016 (Thursday), Mr. Om Prakash Sharma and Mr. Sanjeev Jha, both Members of the House, deposed before the Committee separately. When informed that Ms. Alka Lamba had denied the charges made by Mr. Om Prakash Sharma against her in a previous sitting of the Committee, Mr. Om Prakash Sharma said that the whole incident is result of the conspiracy hatched by hon'ble Chief Minister Mr. Arvind Kejriwal. He added that he never went to where Ms. Alka Lamba was and it was Ms. Lamba who came to his shop and to his seat in the House. Mr. Om Prakash Sharma again told the Committee that when he described her as "रात भर घूमने वाली" ("*raat bhar ghoomne wali*") he just repeated what she had claimed herself to be.

22. The Chairman of the Committee asked him to explain as to if his comments were so innocently made, where was the need for hon'ble Speaker to stand-up in the House and strongly object to his language and also warn him. In reply Mr. Sharma charged both the hon'ble Speaker and the Committee on Ethics with bias.

He stated that his repeated eviction from the House and imposing the fine of Rs.18,500/- for damaging the mic are examples of such a bias.

23. Taking serious objection to Mr. Om Prakash Sharma's allegations, the Committee made it clear that all the members are equal before the Committee. The Committee reminded Mr. Sharma that hon'ble Speaker had to resort to disciplinary action against him because of his tendency to violate the decorum of the House, repeatedly. The Committee told him to recall the fact that fine for damaging the mic was imposed through the collective decision of the House and not by a few as was being sought to be projected by Mr. Om Prakash Sharma. The Committee also highlighted the fact that there were two more Members in the House belonging to party in Opposition whose conduct was never called in to question so far.

24. Mr. Om Prakash Sharma went on to allege that the verbatim transcript and the audio-visual recording provided to him were censored and he is being targeted. He alleged that since the ruling party has majority in the House and control over the administration, the Secretariat cannot go against the ruling party. The Secretary, Legislative Assembly made it clear before the Committee that Mr. Om Prakash Sharma was provided with authenticated copies of audio-visual recording and verbatim transcript of the proceedings of 24 November, 2015. Describing the allegations levelled against the Secretariat of Legislative Assembly as baseless and very unfortunate, the Secretary urged Mr. Om Prakash Sharma, through the Committee, to bring to the notice of the Secretariat any proof to substantiate his allegations. He made it clear that Secretariat is not for serving a particular Member or a particular party and is meant for serving the House as a whole as per Rules and it does its job with due diligence and full responsibility.

25. Thereafter Mr. Sanjeev Jha, a Member of the House, in his deposition before the Committee explained the sequence of events and stated that Mr. Om Prakash Sharma has been using objectionable words such as "नशेड़ी" ("*nashedi*"), "गुंडी" ("*gundi*"), "रात भर घूमने वाली" ("*raat bhar ghoomne waali*") against Ms. Alka Lamba. He told the Committee that hon'ble Leader of Opposition Mr. Vijender Gupta also tried to restrain Mr. Om Prakash Sharma since his utterances were found to be highly objectionable. Mr. Sanjeev

Jha told the Committee that hon'ble Speaker was compelled to stand-up and warn Mr. Om Prakash Sharma for using such foul language against a woman Member.

26. The Committee decided that Mr. Om Prakash Sharma be given a week's time as one last opportunity to bring before the Committee any other evidence/facts in his defence. Accordingly the Secretariat conveyed the decision of the Committee to Mr. Om Prakash Sharma in writing asking him to bring to the notice of the Committee within a week if he has anything more to say before the Committee.

Eighth Sitting - 18 February, 2016:

27. The Committee held its eighth sitting on 18 February, 2016 (Thursday). The Committee noted the fact that Mr. Om Prakash Sharma did not respond to the opportunity given to him by the Committee to place before it any evidence/facts in his defence. The Committee considered all the facts and circumstances in the matter and took into account all the averments made by Mr. Om Prakash Sharma before the Committee, so far. The Committee also examined the submissions made by Ms. Alka Lamba before the Committee. Evidence given by Mr. Sanjeev Jha before the Committee was also taken note of.

28. Thereafter, each of the nine Members of the Committee, including hon'ble Chairman of the Committee, expressed his/her views on the whole matter under investigation, individually. Based on the elaborate, evidence-based and dispassionate evaluation thus made, the Committee collectively arrived at its conclusion and resultant recommendations. The Committee directed the Secretariat to prepare the draft report accordingly for its consideration in its sitting to be held on 22 February, 2016 (Monday).

Ninth Sitting - 22 February, 2016:

29. The Committee in its ninth sitting held on 22 February, 2016 went through the draft put up by the Secretariat paragraph-wise and decided to meet on 24 February, 2016 (Wednesday) to finalise the report.

Tenth Sitting - 24 February, 2016:

30. In its tenth sitting held on 24 February, 2016, the Committee on Ethics finalized its report on the matter and has authorised the

hon'ble Chairman of the Committee to submit the report to hon'ble Speaker for further necessary action.

CONCLUSIONS

The Committee relied on following facts and observations to arrive at its conclusions in the matter:

31. The Committee, in all, had ten sittings spread over a period of ninety days. The meetings were spaced-out in such a manner and held in such an atmosphere that all the concerned could take part in the proceedings without any inconvenience whatsoever.

32. Mr. Om Prakash Sharma deposed before the Committee in five of the ten sittings it had held in the matter. After the seventh sitting, Mr. Sharma was asked in writing to convey to the Committee if he wished to bring before the Committee any other evidence/facts. To the said communication, there was no response from Mr. Sharma.

33. Mr. Om Prakash Sharma was supplied with all the materials that he had asked for. Mr. Sharma had asked from the Committee only those materials that were available with the Secretariat of the Assembly.

- Mr. Om Prakash Sharma was given complete audio-visual recording of the proceedings of the House as was telecast live on 24 November, 2015, on the very day he had asked for it, i.e. on 30 November, 2015.
- Mr. Om Prakash Sharma was handed over complete verbatim transcript of the proceedings of 24 November, 2015, on 03 December, 2015, i.e. just a day after he had asked for it.
- Mr. Om Prakash Sharma was also allowed time of 15 days so as to enable him to gather evidence from private Channels etc.

34. Mr. Om Prakash Sharma was given full and reasonable opportunity to defend his actions in the House on 24 November, 2015.

35. Mr. Om Prakash Sharma, though asked for and was allowed time of 15 days to gather evidence from channels etc., in his

deposition before the Committee in its fifth sitting, made it clear that he did not wish to utilise that option.

36. Mr. Om Prakash Sharma, in his very first appearance before the Committee, had accepted that he used the words "रात भर घूमने वाली" ("*raat bhar ghoomne waali*") to describe Ms. Alka Lamba on the floor of the House on 24 November, 2015 when the House was in Session. He had been consistent in admitting throughout the proceedings of the Committee that he had used the words "रात भर घूमने वाली" ("*raat bhar ghoomne waali*") to describe Ms. Alka Lamba.

37. In the first sitting of the Committee Mr. Om Prakash Sharma described his utterances against Ms. Lamba as reaction to her alleged remarks against him. He also tried to draw a connection between the happenings in the House on 24 November, 2015 and alleged vandalism of his shop by Ms. Lamba in August, 2015. This explanation is totally untenable. Citing an incident, which had allegedly happened away from the House more than two months before, to justify his utterances in the House on 24 November, 2015, to say the least, is an exercise in futility.

38. The very fact that he did make an attempt to offer explanation and thereby justify his utterances against Ms. Lamba as a mere reaction is proof enough to deduce that Mr. Om Prakash Sharma himself was fully conscious of the gross misdemeanour that he had committed on the floor of the House by uttering such highly objectionable words against Ms. Alka Lamba.

39. In a subsequent deposition before the Committee, Mr. Om Prakash Sharma reiterated that he had used the words "रात भर घूमने वाली" ("*raat bhar ghoomne waali*") to describe Ms. Alka Lamba. He also made it clear that he did not regret using the said words. He found a new explanation to offer before the Committee. Mr. Om Prakash Sharma said he had described Ms. Lamba as she allegedly claims herself to be. This was clearly an afterthought which is at total variance with the 'action-reaction' argument that he had advanced in his very first deposition before the Committee.

40. In his last deposition before the Committee, Mr. Om Prakash Sharma had added another dimension to his defence. This time it was 'conspiracy'. He said he was being targeted and a conspiracy was hatched against him by hon'ble Chief Minister. When cornered as to why there was outrage in the House and from the Chair when he made those remarks against Ms. Alka Lamba, Mr.

Sharma told the Committee that hon'ble Speaker and the Committee on Ethics were biased. This was yet another afterthought which is inconsistent with his earlier afterthought as well as with the first round of defence that he had offered. Mr. Om Prakash Sharma had no plausible explanation to give when asked by the Committee as to why the other two Members belonging to party in Opposition were not charged with being unruly ever.

41. Mr. Om Prakash Sharma had been equally inconsistent in his views on materials supplied by the Secretariat of the Legislature. After receiving the audio-visual recording, he had asked for the transcript to adequately defend himself. After receiving the transcript, Mr. Sharma felt it was incomplete and wanted to rely on evidence that he had proposed to gather from private Channels etc. In his last deposition before the Committee, his wide ranging accusations included supply of censored audio-visual recordings and verbatim transcript to him by the Secretariat. These accusations were made nearly eighty days after the said materials were supplied to him. When asked to pin-point the alleged inaccuracies/deficiencies in the materials supplied by the Secretariat, Mr. Om Prakash Sharma did not respond.

42. Mr. Om Prakash Sharma in his depositions remained consistently defiant and unrepentant. Yet the Committee tried to reason with him all through with the hope that he would realise his mistake and would express regrets so that the Committee could take a lenient view. Unfortunately, he was not amenable to the very thought of being regretful. Instead, in the last sitting he had turned accusatory. He made sweeping and unsubstantiated charges against hon'ble Speaker, Committee on Ethics, hon'ble Chief Minister and the Secretariat of Legislature.

43. From the proceedings of 24 November, 2015, it is abundantly clear that Mr. Om Prakash Sharma used the words "रात भर घूमने वाली" ("*raat bhar ghoomne waali*") in most derogatory and defamatory sense against Ms. Alka Lamba.

44. It is also clear from the reactions in the House at the instant - be it from the Chair who warned Mr. Sharma against highly indecorous conduct, be it from the Leader of the Opposition who tried to restrain Mr. Sharma, be it from all other Members of the House who reacted with shock and outrage - that the words "रात भर घूमने वाली" ("*raat bhar ghoomne waali*") uttered by Mr. Om Prakash Sharma comprised most undignified and uncivilised expression aimed at denigrating a woman Member. It amounted to, in plain

and simple terms, character-assassination. This happened in full view of the House, media persons and general public who were present in visitors' galleries when the House was transacting serious business of public interest by way of Calling Attention.

45. Through his highly irresponsible and contemptuous conduct Mr. Om Prakash Sharma made a mockery of the House. He not only brought disrepute to himself but also denigrated the dignity of a fellow woman Member in particular and other Members in general and that of the Legislative Assembly of NCT of Delhi as a whole. While resorting to such gross misconduct he did not think of the dignity of his electors either.

46. Hence the Committee unanimously concluded that Mr. Om Prakash Sharma is found guilty of conduct unbecoming of a Member of the Legislative Assembly.

47. The Committee also took note of the fact that many of the agitated Members rushed to the well when the said incident happened on 24 November, 2015, an action which had the potential to aggravate the situation further. The Committee, though fully aware of the circumstances in which they rushed to the well of the House, felt that the Members could have avoided such a reaction. The Committee hopes that the Members henceforth would strictly abide by the rules of the House even in the face of gravest of provocations.

RECOMMENDATIONS


48. Given the fact that Mr. Om Prakash Sharma, in addition to being found guilty in the very serious matter under investigation now, also:


- has to his credit the record of being named by hon'ble Speaker most number of times for indecorous conduct in the House,
- has the history of repeatedly interrupting the proceedings of the House,
- is imprudent enough to rush menacingly towards the Leader of the House when he was addressing the House with the permission of the Chair,


- has the record of being fined and warned against unruly behaviour by the House after duly found guilty by the Committee on Ethics once earlier for damaging the mic in the House,
- has shown neither remorse nor sign of learning from his past mistakes and
- is a habitual offender;

the Committee is left with no choice but to recommend expulsion of Mr. Om Prakash Sharma from the Membership of the sixth Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi.


(Narayan Dutt Sharma)
 Chairman, Committee on Ethics


(S. K. Bagga)
 Member



(Ch. Fateh Singh)
 Member



(Bhavna Gaur)
 Member


(Raghuvinder Shokeen)
 Member


(Dinesh Mohaniya)
 Member


(Amanatullah Khan)
 Member


(Raju Dhangra)
 Member


(Saurabh Bharadwaj)
 Member

Delhi
24 February, 2016



द्वितीय प्रतिवेदन

(माननीय अध्यक्ष महोदय को दिनांक 24 फरवरी, 2016 को प्रस्तुत।

सदन पटल पर दिनांक 30 मार्च, 2016 को प्रस्तुत)

आचरण समिति

छठी विधान सभा


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

आचरण समिति के पदाधिकारी

	श्री नारायण दत्त शर्मा	सभापति
2.	श्री रघुविन्दर शौकीन	सदस्य
3.	सुश्री भावना गौड	सदस्य
4.	श्री एस.के. बग्गा	सदस्य
5.	श्री राजू धिंगान	सदस्य
6.	श्री दिनेश मोहनिया	सदस्य
7.	श्री अमानतुल्लाह खान	सदस्य
8.	चौ. फतेह सिंह	सदस्य
9.	श्री सौरभ भारद्वाज	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा	सचिव
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद	उप सचिव



“ मेरी राजनीति सदैव सदाचरण संभूत रही है

क्योंकि मैं सदाचरण में विश्वास रखता हूं इसीलिए मैं राजनीति में हूँ।”

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
परिचय	1
कार्यवाही	3
निष्कर्ष	8
संस्तुतियों	11

परिचय

1. 24 नवंबर, 2015 (मंगलवार) को अपराह्न लगभग 4.10 बजे जब सदन में नियम – 54 के अंतर्गत दिल्ली में रैनबसेरों की कथित कमी एवं कुप्रबंधन पर चर्चा हो रही थी, तभी माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल अचानक खड़े हुए और बोले ".... ओम प्रकाश जी, ये बदतमीजी नहीं चलेगी। ये बहुत बदतमीजी है आपकी"। एक बार स्तब्ध होकर सदन में फिर तुरन्त हंगाना शुरू हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा से यह कहते हुए कि उन्होंने सदन की ही एक महिला सदस्य के विरुद्ध अत्यंत आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, सदन से बाहर चले जाने के लिए कहा।

2. अनेक सदस्यों ने श्री ओम प्रकाश शर्मा के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की और कुछ महिला सदस्यों सहित कई सदस्य अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए। श्री ओम प्रकाश शर्मा के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की मांगों के बीच माननीय अध्यक्ष ने अपने आसन से इस घटनाक्रम पर दुःख व क्षोभ प्रकट करते हुए बताया कि श्री ओम प्रकाश शर्मा ने सदन की एक सदस्या सुश्री अलका लाम्बा के लिए "रात भर घूमने वाली" शब्दों का प्रयोग किया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय नेता प्रतिपक्ष की श्री ओम प्रकाश शर्मा को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयत्न की प्रशंसा भी की, जो उस समय श्री विजेन्द्र गुप्ता के बगल वाली सीट (संख्या 99) पर बैठे थे और जो औपचारिक रूप से श्री जगदीश प्रधान, सदन के ही एक सदस्य, की है।

3. इस शोर-शराबे के दौरान श्री ओम प्रकाश शर्मा सदन से चले गए। सदन के अनेक सदस्यों द्वारा श्री ओम प्रकाश शर्मा के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग के बीच उस दिन सदन में कोई अन्य कार्य नहीं हो सका। अपराह्न 5.40 बजे के लगभग पूरे दिन के लिए कार्रवाई स्थगित किए जाने के पूर्व सदन को दो बार अनियत स्थगित भी करना पड़ा।

4. सदन की अगली बैठक, अर्थात् 26 नवंबर, 2015 (बृहस्पतिवार) को भी महिला सदस्यों ने अध्यक्ष के आसन के सामने अपना विरोध जारी रखा जिनका समर्थन सदन में उपस्थित अधिकांश सदस्य भी कर रहे थे और श्री ओम प्रकाश शर्मा के विरुद्ध तत्काल कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे थे।

5. तत्पश्चात् माननीय पर्यटन व जल मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने अध्यक्ष की अनुमति से सदन में निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :

"यह सदन निर्णय करता है कि दिनांक 24.11.2015 को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जिसमें सदन के एक सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा ने इस सदन की ही एक महिला सदस्य के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की थी, को विचार, जाच व प्रतिवेदन हेतु सदन की आचरण समिति को भेज दिया

जाए। समिति को इस विषय में कोई भी प्रक्रिया अपनाए जाने की छूट होगी और वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र की पहली बैठक से पूर्व प्रस्तुत करेगी।”

6. सदन द्वारा इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार किए जाने के साथ ही यह विषय आचरण समिति को सौंपा गया।

7. इसके पश्चात् माननीय सदस्य श्री कैलाश गहलोत ने सदन को बताया कि श्री ओम प्रकाश शर्मा ने माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध अत्यंत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है और उन्होंने सदन के समक्ष अध्यक्ष की अनुमति से यह प्रस्ताव रखा :

“यह सदन श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध सदन के अंदर व मीडिया से बात करते हुए की गई अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा करता है,

तथा

यह सदन निर्णय करता है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा को चालू सत्र के पूरे समय के लिए निलंबित किया जाए।”

8. सदन द्वारा इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार किए जाने के साथ ही श्री ओम प्रकाश शर्मा वर्तमान सत्र अर्थात् छठी विधानसभा के द्वितीय सत्र की पूरी अवधि के लिए सदन की सेवाओं से निलंबित कर दिए गए।

9. इस बीच सदन की महिला सदस्यों ने श्री ओम प्रकाश शर्मा के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए अपना विरोध जारी रखा। जब सदन को दो बार अनियत स्थगित करना पड़ा तो माननीय उप मुख्यमंत्री ने सदन में अध्यक्ष के आसन के समक्ष धरना दे रही महिला सदस्यों से अपील की कि वे आचरण समिति में अपनी आस्था रखें और अपना आसन ग्रहण करें। इसके बाद माननीय अध्यक्ष की ओर से भी आश्वासन दिया गया कि आचरण समिति इस विषय पर अपना प्रतिवेदन अगले सत्र की पहली बैठक से पूर्व प्रस्तुत कर देगी। अंततः महिला सदस्य अनुरोध को मानते हुए अपने अपने आसन पर लौट गईं।

कार्यवाही

प्रथम बैठक – 27 नवंबर, 2015

10. सदन में व्याप्त आक्रोश एवं सदन द्वारा लगाई गई समय सीमा को देखते हुए आचरण समिति ने बिना कोई समय नष्ट किए इस विषय पर अपनी पहली बैठक 27 नवंबर, 2015 (शुक्रवार) को की। समिति ने विधान सभा सचिवालय में उपलब्ध सदन की 24 नवंबर, 2015 की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को देखा। कार्यवाही की यह वही रिकॉर्डिंग थी जो 24 नवंबर, 2015 को लाइव वेबकास्ट की गई थी। तत्पश्चात् समिति ने निर्णय किया कि श्री ओम प्रकाश शर्मा, माननीय सदस्य से समिति के समक्ष दिनांक 30 नवंबर, 2015 (सोमवार) को उपस्थित होने के लिए अनुरोध किया जाए।

द्वितीय बैठक – 30 नवंबर, 2015

11. माननीय सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा ने दिनांक 30 नवंबर, 2015 को, इस समिति की दूसरी बैठक में अभिसाक्ष्य दिया। जब उनसे दिनांक 24 नवंबर, 2015 के सदन में उनके व्यवहार के बारे में प्रश्न किया गया तो उन्होंने इसे अगस्त, 2015 से जोड़ा जब सुश्री अलका लाम्बा ने कथित रूप से यमुना बाजार स्थित उनकी दुकान में तोड़फोड़ की थी, जिसके फलस्वरूप सुश्री लाम्बा के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। उन्होंने समिति को बताया कि सुश्री अलका लाम्बा ने उनके विरुद्ध "नशे का सौदागर" व "ज़हरीला प्रसाद बेचने वाला" जैसी टिप्पणियां की थीं। इसकी प्रतिक्रियास्वरूप ही उन्होंने सुश्री लाम्बा को "रात भर घूमने वाली कहा था।" जब उनसे स्पष्ट रूप से पूछा गया कि क्या उन्होंने सुश्री अलका लाम्बा को "रात भर घूमने वाली" कहा था, तो उन्होंने इसका उत्तर 'हां' में दिया।

12. अपने अभिसाक्ष्य के दौरान उन्होंने एक बार भी इस बात को नहीं नकारा कि उन्होंने सुश्री लाम्बा के विरुद्ध "रात भर घूमने वाली" शब्दों का प्रयोग किया था। समिति ने श्री ओम प्रकाश शर्मा से पूछा कि क्या उन्हें सदन की एक साथी महिला सदस्य के विरुद्ध इस प्रकार की अपमानजनक भाषा का प्रयोग किए जाने के अपने आचरण के लिए कोई खेद है? श्री ओम प्रकाश शर्मा ने समिति को बताया कि उन्होंने जो कुछ कहा उसके लिए उन्हें कोई खेद नहीं है और वे अपने कथन पर कायम हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सुश्री अलका लाम्बा ने अगस्त, 2015 में कथित रूप से जो कुछ उनकी दुकान में किया था और सदन में कथित रूप से जो कुछ उनके विरुद्ध कहा था, उनका कथन केवल उसकी प्रतिक्रिया में था।

13. श्री ओम प्रकाश शर्मा के अनुरोध पर समिति ने सचिवालय को निदेश दिया कि वह श्री ओम प्रकाश शर्मा को 24 नवंबर, 2015 को लाइव वेबकास्ट की गई संपूर्ण कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराएं। निदेशानुसार तुरंत ही 30 नवंबर, 2015 को विधान सभा सचिवालय ने वीडियो रिकॉर्डिंग वाली एक डीवीडी श्री ओम प्रकाश शर्मा को सौंप दी। श्री

ओम प्रकाश शर्मा को समिति के समक्ष दिनांक 2 दिसंबर, 2015 (बुधवार) को उपस्थित होने के लिए कहा गया।

तृतीय बैठक – 2 दिसंबर, 2015

14. श्री ओम प्रकाश शर्मा ने समिति की तृतीय बैठक में दिनांक 2 दिसंबर, 2015 को अभिसाक्ष्य दिया और 24 नवंबर, 2015 की कार्यवाही के शब्दशः लिप्यंतरण की मांग की। जब उनसे पूछा गया कि 24 नवंबर, 2015 की वीडियो रिकॉर्डिंग को देखने के बाद उन्हें क्या कहना है तो उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें कार्यवाही के पूरे लिप्यंतरण की आवश्यकता है ताकि वे समिति के समक्ष ठीक से अपना पक्ष रख सकें। तत्पश्चात् समिति ने सचिवालय को निदेश दिया कि वह श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा वांछित सदन की कार्यवाही का पूरा लिप्यंतरण उन्हें अगले दिन अर्थात् 3 दिसंबर, 2015 (बृहस्पतिवार) की शाम तक उपलब्ध करा दे। समिति के निदेशों का सचिवालय ने भलीभांति पालन किया।

चौथी बैठक – 8 दिसंबर, 2015

15. श्री ओम प्रकाश शर्मा ने एक बार फिर समिति के समक्ष इसकी चौथी बैठक में दिनांक 8 दिसंबर, 2015 (मंगलवार) को अभिसाक्ष्य दिया। समिति ने उनसे पूछा कि 24 नवंबर, 2015 की वीडियो रिकॉर्डिंग व शब्दशः लिप्यंतरण को देखने के बाद अब उन्हें क्या कहना है? उन्होंने समिति के सभापति को संबोधित दिनांक 8 दिसंबर, 2015 का एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि सचिवालय द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया गया शब्दशः लिप्यंतरण अपूर्ण है और उन्हें निजी चैनलों आदि से साक्ष्य जुटाने के लिए एक महीने का समय चाहिए। इस प्रकार का अनुरोध उन्होंने समिति के समक्ष मौखिक रूप से भी किया। इस पर समिति ने श्री ओम प्रकाश शर्मा को, जैसा कि उन्होंने चाहा था, साक्ष्य जुटाने के लिए और 15 दिन का समय दिया।

पांचवीं बैठक – 23 दिसंबर, 2015

16. दिनांक 23 दिसंबर, 2015 (बुधवार) को हुई अपनी पांचवीं बैठक में श्री ओम प्रकाश शर्मा ने जोर दिया कि समिति उनसे शब्दशः लिप्यंतरण के विनिर्दिष्ट पृष्ठों के आधार पर विनिर्दिष्ट प्रश्न पूछे। श्री ओम प्रकाश शर्मा ने यह तर्क दिया कि शब्दशः लिप्यंतरण अपूर्ण हैं और आरोप लगाया कि सुश्री अलका लाम्बा विचाराधीन घटना वाले दिन उन पर चिल्लाई थीं और उन्होंने दो बार उन्हें चांटा मारने का भी प्रयास किया था।

17. समिति ने उनसे फिर से पूछा कि क्या उन्होंने सुश्री अलका लाम्बा के लिए "रात भर घूमने वाली" शब्दों का प्रयोग किया था तो श्री ओम प्रकाश शर्मा ने इसका उत्तर 'हां' में दिया। जब उनसे पूछा गया कि सदन में सुश्री अलका लाम्बा के विरुद्ध इस प्रकार के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने पर उन्हें कोई पछतावा है तो उन्होंने इसका उत्तर 'नहीं' में दिया। उन्होंने कहा कि उनका आशय गलत नहीं था। जब उनसे पूछा गया कि

उनका आशय क्या था तो श्री ओम प्रकाश शर्मा ने यह स्पष्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सुश्री अलका लाम्बा ने स्वयं यह दावा किया है कि वे रैनबसेरों में रात को 2 बजे गई हैं और अपने नशा-मुक्ति अभियान के दौरान वे नशे के आदी लोगों के पास सुबह 4 या 5 बजे भी गई हैं। श्री ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि उन्होंने जब सुश्री अलका लाम्बा को "रात भर घूमने वाली" कहा तो उन्होंने केवल वही दोहराया है जिसका दावा सुश्री अलका लाम्बा ने स्वयं अपने बारे में किया है।

18. समिति ने श्री ओम प्रकाश शर्मा से पूछा कि क्या वे अपने समर्थन में कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं या अपने लिए कोई वकील करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि वे अपना बचाव करने में स्वयं सक्षम हैं। जब समिति ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी इच्छानुसार उनको निजी चैनलों व अन्य स्रोतों से साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है तो उन्होंने कहा कि वे अब उस विकल्प का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि समिति को बताने के लिए उनके पास और कुछ नहीं है।

छठी बैठक – 20 जनवरी, 2016

19. आचरण समिति ने अपनी अगली बैठक 20 जनवरी, 2016 (बुधवार) को की। सुश्री अलका लाम्बा को समिति के समक्ष बुलाया गया और वे उपस्थित हुईं। सुश्री अलका लाम्बा ने श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन किया। जब सुश्री अलका लाम्बा से श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा समिति के समक्ष उन पर लगाए गए विनिर्दिष्ट आरोपों के बारे में, कि वे 24 नवंबर, 2015 को श्री ओम प्रकाश शर्मा पर चिल्लाई थीं और उन्होंने दो बार उन्हें चांटा मारने का प्रयास किया था, पूछा गया तो सुश्री लाम्बा ने बताया कि जब श्री शर्मा ने उनके बारे में भद्दी भाषा का प्रयोग किया तो बहुत-से सदस्य क्षुब्ध थे और उनमें से अनेक सदस्य श्री ओम प्रकाश शर्मा के अभद्र व्यवहार का विरोध करने के लिए सदन के वेल में अध्यक्ष के आसन के सामने भी आ गए थे। सुश्री लाम्बा ने स्वीकार किया कि श्री ओम प्रकाश शर्मा के शब्दों से क्षुब्ध होकर वह भी सदन के वेल में अध्यक्ष के आसन के समक्ष आ गई थी और उन्होंने अपने इस व्यवहार के लिए समिति के समक्ष खेद व्यक्त किया। उन्होंने समिति को आश्वासन दिया कि भविष्य में वे सावधान रहेगीं। उन्होंने यह भी बताया कि स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय ने भी श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा बार-बार उनके विरुद्ध 'नशेड़ी', 'गुंडी' जैसे शब्दों के प्रयोग पर क्रोध प्रकट किया था, जो रिकॉर्ड पर है, और उन्हें सदन में श्री ओम प्रकाश शर्मा को चेतावनी देनी पड़ी थी। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि उन्हें धमकियां मिल रही थीं।

20. समिति के समक्ष सुश्री अलका लाम्बा द्वारा किए गए निवेदन को देखते हुए यह निर्णय किया गया कि श्री ओम प्रकाश शर्मा को समिति के समक्ष उनका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक और अवसर दिया जाए। समिति के ही एक सदस्य के इस सुझाव से भी समिति सहमत थी कि श्री संजीव झा, सदन में सीट संख्या 81 पर बैठने वाले एक सदस्य, को भी समिति की अगली बैठक में अभिसाक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाए।

सातवीं बैठक – 28 जनवरी, 2016

21. 28 जनवरी, 2016 (बृहस्पतिवार) को हुई आचरण समिति की सातवीं बैठक में सदन के दोनों सदस्यों, श्री ओम प्रकाश शर्मा तथा श्री संजीव झा, ने समिति के समक्ष अलग-अलग अपना अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किया। जब यह सूचित किया गया कि समिति की पिछली बैठक में सुश्री अलका लाम्बा ने श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों को नकार दिया है तो श्री ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि यह सारा घटनाक्रम माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा किए गए षडयंत्र का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि जहां सुश्री अलका लाम्बा थीं, वहां वे कभी नहीं गए बल्कि ये सुश्री लाम्बा ही थीं जो उनकी दुकान और सदन में उनके आसन तक आईं। श्री ओम प्रकाश शर्मा ने पुनः समिति को बताया कि जब उन्होंने सुश्री लाम्बा को “रात भर घूमने वाली” कहा था तो उन्होंने सुश्री अलका लाम्बा द्वारा स्वयं के बारे में किए गए दावे को ही दोहराया था।

22. समिति के सभापति ने पूछा कि यदि उनकी टिप्पणी इतनी ही मासूमियत से की गई थी तो माननीय अध्यक्ष महोदय को अपने आसन से खड़े होने और उनकी भाषा के बारे में तीव्र आपत्ति करने व साथ ही चेतावनी देने की क्या आवश्यकता थी? इसके उत्तर में श्री शर्मा ने माननीय अध्यक्ष एवं आचरण समिति, दोनों पर ही पक्षपाती होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सदन से उनको बार-बार निकाला जाना तथा माइक को क्षति पहुंचाने के लिए उन पर लगाया गया रुपए. 18,500/- का जुर्माना इस पक्षपात का उदाहरण है।

23. श्री ओम प्रकाश शर्मा के आरोपों पर गंभीर आपत्ति प्रकट करते हुए समिति ने यह स्पष्ट किया कि उसके समक्ष सभी सदस्य समान हैं। समिति ने श्री ओम प्रकाश शर्मा को याद दिलाया कि उनके बार-बार सदन के शिष्टाचार को भंग करने की प्रवृत्ति के कारण ही माननीय अध्यक्ष महोदय को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ा। समिति ने उन्हें याद दिलाया कि माइक को क्षति पहुंचाने के लिए उन पर जो जुर्माना लगाया गया था, वह सदन का सामूहिक निर्णय था न कि कुछ लोगों का, जैसा कि श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा दर्शाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि सदन में विपक्षी दल के दो और सदस्य भी हैं जिनके आचरण पर अब तक कभी भी सवाल नहीं उठाया गया है।

24. श्री ओम प्रकाश शर्मा ने यह आरोप भी लगाया कि उन्हें उपलब्ध कराया गया शब्दशः लिप्यंतरण तथा वीडियो रिकॉर्डिंग में काट-छांट की गई है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्योंकि सत्ताधारी दल के पास सदन में बहुमत है और प्रशासन पर उनका नियंत्रण है अतः सचिवालय सत्ताधारी दल के विरुद्ध नहीं जा सकता। सचिव, विधान सभा ने समिति को बताया कि श्री ओम प्रकाश शर्मा को 24 नवंबर, 2015 की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग व शब्दशः लिप्यंतरण की प्रामाणिक प्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं। विधान सभा सचिवालय के विरुद्ध श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों को आधारहीन एवं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सचिव ने समिति के माध्यम से

श्री ओम प्रकाश शर्मा से अनुरोध किया कि वे अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए सचिवालय के संज्ञान में कोई भी प्रमाण लाएं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सचिवालय किसी सदस्य विशेष या किसी दल विशेष की सेवा के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सदन की नियमानुसार सेवा के लिए है और अपना कर्तव्य यह पूरी कर्मठता एवं उत्तरदायित्व के साथ निभाता है।

25. तत्पश्चात् सदन के एक सदस्य श्री संजीव झा ने समिति के समक्ष अपने अभिसाक्ष्य में घटना का सिलसिलेवार वर्णन करते हुए बताया कि श्री ओम प्रकाश शर्मा सुश्री अलका लाम्बा के विरुद्ध "नशेड़ी", "गुंडी", "रात भर घूमने वाली" जैसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने समिति को बताया कि माननीय विपक्ष के नेता श्री विजेंद्र गुप्ता ने भी श्री ओम प्रकाश शर्मा को रोकने का प्रयास किया क्योंकि उनके शब्द बहुत आपत्तिजनक थे। श्री संजीव झा ने समिति को बताया कि माननीय अध्यक्ष को खड़े होकर श्री ओम प्रकाश शर्मा को एक महिला सदस्य के विरुद्ध ऐसी भद्दी भाषा का प्रयोग करने के लिए चेतावनी देने के लिए बाध्य होना पड़ा।

26. समिति ने निर्णय किया कि श्री ओम प्रकाश शर्मा को समिति के समक्ष अपने बचाव में कोई अन्य प्रमाण/तथ्य प्रस्तुत करने के लिए एक अंतिम अवसर के तौर पर एक सप्ताह का समय और दिया जाए। तदनुसार सचिवालय ने लिखित रूप में समिति के निर्णय से श्री ओम प्रकाश शर्मा को अवगत कराया और सूचित किया कि यदि उनके पास कहने के लिए कुछ और हो तो उसे एक सप्ताह के भीतर समिति के सामने लाएं।

आठवीं बैठक – 18 फरवरी, 2016

27. समिति की आठवीं बैठक 18 फरवरी, 2016 (बृहस्पतिवार) को हुई। समिति ने इस तथ्य को देखा कि श्री ओम प्रकाश शर्मा ने अपने बचाव में कोई नए तथ्य/प्रमाण प्रस्तुत किए जाने हेतु दिए गए अवसर का लाभ नहीं उठाया। समिति ने इस विषय पर समस्त तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार किया और श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा समिति के समक्ष अब तक दिए गए सभी प्रकथनों पर भी ध्यान दिया। समिति ने सुश्री अलका लाम्बा द्वारा समिति के समक्ष किए गए निवेदन की भी जांच की। श्री संजीव झा द्वारा समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्यों पर भी विचार किया गया।

28. तत्पश्चात् सभापति सहित समिति के नौ सदस्यों में से प्रत्येक ने विचाराधीन मामले पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए। इस प्रकार से सविस्तार, प्रमाण-आधारित तथा निष्पक्ष मूल्यांकन द्वारा समिति सामूहिक रूप से अपने निष्कर्ष एवं परिणामी संस्तुतियों पर पहुंची। समिति ने तदनुसार दिनांक 22 फरवरी, 2016 (सोमवार) की अपनी बैठक में विचार किए जाने हेतु सचिवालय को प्रारूप प्रतिवेदन तैयार करने का निदेश दिया।

नौवीं बैठक – 22 फरवरी, 2016

29. समिति ने 22 फरवरी, 2016 को हुई अपनी नौवीं बैठक में सचिवालय द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर पैरावाइज विचार किया और 24 फरवरी, 2016 (बुधवार) को प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के लिए बैठक करने का निर्णय किया।

दसवीं बैठक – 24 फरवरी, 2016

30. 24 फरवरी, 2016 को हुई अपनी 10वीं बैठक में आचरण समिति ने इस विषय पर अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया व समिति के माननीय सभापति को अधिकृत किया कि वे माननीय अध्यक्ष महोदय को यह प्रतिवेदन आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करें।

निष्कर्ष

इस विषय पर अपने निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए समिति ने निम्नलिखित तथ्यों व कथनों को आधार बनाया :

31. समिति ने 90 दिन की अवधि के दौरान कुल 10 बैठकें कीं। बैठकें इस प्रकार से और ऐसे वातावरण में आयोजित की गयी कि सभी संबद्ध पक्ष बिना किसी भी प्रकार की कठिनाई के इसकी कार्यवाही में भाग ले सकें।

32. श्री ओम प्रकाश शर्मा ने इस विषय पर हुई समिति की 10 बैठकों में से 5 बैठकों में अभिसाक्ष्य प्रस्तुत किए। सातवीं बैठक के बाद श्री ओम प्रकाश शर्मा से लिखित रूप में आग्रह किया गया कि यदि वे समिति के समक्ष कुछ अन्य साक्ष्य/तथ्य लाना चाहें तो समिति को अवगत कराएं। इस संदेश के बाद श्री ओम प्रकाश शर्मा की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

33. श्री ओम प्रकाश शर्मा को उनके द्वारा वांछित सारी सामग्री उपलब्ध कराई गई। श्री ओम प्रकाश शर्मा ने समिति से केवल वही सामग्री मांगी जो विधान सभा सचिवालय के पास उपलब्ध थी।

- श्री ओम प्रकाश शर्मा को 24 नवंबर, 2015 को सदन की कार्यवाही, जैसी कि लाइव प्रसारित हुई थी, की वीडियो रिकॉर्डिंग उसी दिन अर्थात् 30 नवंबर, 2015 को उपलब्ध कराई गई, जिस दिन उन्होंने उसकी मांग की।
- श्री ओम प्रकाश शर्मा को 24 नवंबर, 2015 की कार्यवाही का संपूर्ण शब्दशः लिप्यंतरण दिनांक 3 दिसंबर, 2015 को, अर्थात् जिस दिन उन्होंने कहा उससे अगले दिन, सौंप दिया गया।

- श्री ओम प्रकाश शर्मा को 15 दिन का समय भी दिया गया ताकि वे निजी चैनलों आदि से साक्ष्य एकत्रित कर सकें।

34. श्री ओम प्रकाश शर्मा को 24 नवंबर, 2015 के उनके व्यवहार के बचाव हेतु संपूर्ण और उचित अवसर प्रदान किए गए।

35. यद्यपि श्री ओम प्रकाश शर्मा ने निजी चैनलों आदि से साक्ष्य एकत्रित करने के लिए समय मांगा था और उन्हें 15 दिन का समय दिया भी गया, परंतु समिति की पांचवीं बैठक में दिए अभिसाक्ष्य में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वे इस विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहते।

36. श्री ओम प्रकाश शर्मा ने समिति के समक्ष अपनी पहली ही उपस्थिति में यह स्वीकार किया था कि उन्होंने दिनांक 24 नवंबर, 2015 को सदन में, जबकि सदन का सत्र चल रहा था, सुश्री अलका लाम्बा के लिए "रात भर घूमने वाली" शब्दों का प्रयोग किया था। पूरी कार्यवाही के दौरान वे अपनी इस स्वीकारोक्ति पर स्थिर रहे कि उन्होंने सुश्री अलका लाम्बा के लिए "रात भर घूमने वाली" शब्दों का प्रयोग किया था।

37. समिति की पहली बैठक में श्री ओम प्रकाश शर्मा ने सुश्री अलका लाम्बा के विरुद्ध अपने कथन को उनके द्वारा कथित टिप्पणियों की प्रतिक्रिया स्वरूप बताया था। उन्होंने सुश्री अलका लाम्बा द्वारा अगस्त, 2015 में कथित रूप से उनकी दुकान में की गई तोड़फोड़ और सदन के 24 नवंबर, 2015 के घटनाक्रम में संबंध स्थापित करने का भी प्रयास किया। यह स्पष्टीकरण पूरी तरह अतर्कसंगत है। सदन में अपने 24 नवंबर, 2015 के कथन को सही साबित करने के लिए सदन से बाहर दो महीने से भी पहले की किसी घटना का उदाहरण देना अपने आप में निरर्थक प्रयास ही कहा जाएगा।

38. यही तथ्य कि श्री ओम प्रकाश शर्मा ने सुश्री अलका लाम्बा के विरुद्ध अपने कथन को मात्र एक प्रतिक्रिया बताते हुए अपने कथन को सही सिद्ध करने के लिए किया गया प्रयास, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि सदन में सुश्री अलका लाम्बा के प्रति अत्यंत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करके श्री ओम प्रकाश शर्मा ने जो घोर अपराध किया, उसका उनको स्वयं पूरा आभास था।

39. समिति के समक्ष अपने एक अनुवर्ती अभिसाक्ष्य में श्री ओम प्रकाश शर्मा ने पुनः कहा कि उन्होंने सुश्री अलका लाम्बा के लिए "रात भर घूमने वाली" शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें अपने इन शब्दों के प्रयोग पर कोई खेद नहीं है। समिति के समक्ष उन्होंने एक नया स्पष्टीकरण भी गढ़ लिया। उन्होंने कहा कि सुश्री अलका लाम्बा को उन्होंने वही कहा है जो होने का वह स्वयं का दावा करती हैं। स्पष्टतः यह बाद की सोच है जो उनके 'क्रिया-प्रतिक्रिया' वाले उत्तर से बिलकुल अलग है जैसा कि उन्होंने समिति के समक्ष अपने सबसे पहले अभिसाक्ष्य में प्रस्तुत किया था।

40. समिति के समक्ष अपने अंतिम अभिसाक्ष्य में श्री ओम प्रकाश शर्मा ने अपने बचाव में एक अन्य आयाम जोड़ दिया। इस बार यह 'षडयंत्र' था। उन्होंने कहा कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री ने उनके विरुद्ध षडयंत्र रचा है। जब उन्होंने सुश्री अलका लाम्बा के विरुद्ध उक्त टिप्पणी की थी तो सदन में एवं अध्यक्ष की ओर से भी उनके विरुद्ध आक्रोश क्यों उठा था, इस प्रश्न पर घिरने पर श्री ओम प्रकाश शर्मा ने समिति को बताया कि माननीय अध्यक्ष महोदय और आचरण समिति दोनों ही, पक्षपाती हैं, यह भी एक और बाद-की-सोच थी जो कि उनकी पहले वाली बाद-की-सोच तथा प्रारंभ में उनके द्वारा प्रस्तुत बचाव दोनों से मेल नहीं खाती। समिति ने जब उनसे पूछा कि विपक्ष के दो अन्य सदस्यों पर कभी भी अभद्र आचरण का आरोप क्यों नहीं लगाया गया तो श्री ओम प्रकाश शर्मा के पास इस प्रश्न का कोई तर्कसम्मत उत्तर नहीं था।

41. विधानसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के बारे में भी श्री ओम प्रकाश शर्मा के विचार इतने ही असंगत रहे। वीडियो रिकॉर्डिंग प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने उपयुक्त बचाव के लिए शब्दशः लिप्यंतरण की मांग की। लिप्यंतरण प्राप्त करने के बाद श्री ओम प्रकाश शर्मा को लगा कि यह अपूर्ण है और उन्होंने निजी चैनलों आदि से प्रमाण एकत्रित करने का प्रस्ताव किया जिन पर वह निर्भर करना चाहते थे। अपने अंतिम अभिसाक्ष्य में उनके द्वारा लगाए गए अनेक आरोपों में सचिवालय द्वारा काट-छांट कर उन्हें उपलब्ध कराई गई वीडियो रिकॉर्डिंग तथा शब्दशः लिप्यंतरण शामिल थे। जब उन्हें उक्त सामग्री उपलब्ध कराई गई उसके 80 दिन बाद उन्होंने ये आरोप लगाए। जब उनसे कहा गया कि वे उन्हें उपलब्ध कराई गई सामग्री में कमियों/त्रुटियों को सटीक रूप से बताएं तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।

42. श्री ओम प्रकाश शर्मा लगातार अपने अभिसाक्ष्य में अवज्ञापूर्ण और पश्चातापहीन रहे। फिर भी समिति ने इस बात का प्रयास किया कि वे अपनी भूल को समझें और उस पर खेद प्रकट करें ताकि समिति उनके प्रति उदार रवैया अपना सके। दुर्भाग्यवश वह पश्चाताप के विचार तक पर सहमत नहीं थे। बल्कि अंतिम बैठक में उन्होंने आरोप लगाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने माननीय अध्यक्ष, आचरण समिति, माननीय मुख्यमंत्री तथा विधानसभा सचिवालय के विरुद्ध आधारहीन आरोप लगा डाले।

43. 24 नवंबर, 2015 की कार्यवाही से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा ने सुश्री अलका लाम्बा के विरुद्ध अत्यंत निंदाजनक एवं अपमानजनक रूप से "रात भर घूमने वाली" शब्दों का प्रयोग किया।

44. सदन में तात्कालिक प्रतिक्रियाओं – चाहे वे अध्यक्ष द्वारा श्री ओम प्रकाश शर्मा को अत्यंत असभ्य आचरण के लिए चेतावनी देना हों, चाहे वह नेता विपक्ष द्वारा श्री ओम प्रकाश शर्मा को रोकने का प्रयास करना हो, चाहे वह सभी सदस्यों की स्तंभित व उग्र प्रतिक्रिया हो, से यह भी स्पष्ट है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा द्वारा बोले गए शब्द "रात भर घूमने वाली" एक महिला सदस्य को नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली संभवतः सर्वाधिक

अशोभनीय एवं असभ्य अभिव्यक्ति थी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह चरित्र—हनन था। यह पूरे सदन के, पत्रकारों एवं दर्शक दीर्घा में उपस्थित आम जनता के समक्ष उस समय घटित हुआ जब सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत जनता की भलाई से संबद्ध महत्वपूर्ण कार्यवाही चल रही थी।

45. अपने तिरस्कारपूर्ण एवं अनुत्तरदायी आचरण से श्री ओम प्रकाश शर्मा ने सदन का उपहास किया है। उन्होंने न केवल स्वयं को अपमानित किया है बल्कि विशेषकर एक सहयोगी महिला को, सामान्यतः सभी सदस्यों को व कुल मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा को भी नीचा दिखाया है। इस प्रकार का अत्यंत अशोभनीय आचरण करते हुए उन्होंने अपने मतदाताओं के सम्मान का भी विचार नहीं किया।

46. अतः समिति सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा को ऐसे व्यवहार का दोषी पाया जाता है जो एक विधानसभा सदस्य के लिए अशोभनीय है।

47. समिति ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि जब 24 नवंबर, 2015 को उक्त घटना हुई तो अनेक उत्तेजित सदस्य अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़े। यह एक ऐसा कार्य था जिससे स्थिति और खराब हो सकती थी। यद्यपि समिति उन परिस्थितियों से पूरी तरह अवगत है जिनमें वे अध्यक्ष के आसन की ओर बढ़े थे, तथापि उसका मानना है कि सदस्य इस प्रकार की प्रतिक्रिया को टाल सकते थे। समिति को आशा है कि भविष्य में सदस्य बड़े से बड़े उकसावे की स्थिति में भी सदन के नियमों का सख्ती से पालन करेंगे।

संस्तुतियां

48. इस तथ्य के साथ साथ कि श्री ओम प्रकाश शर्मा अत्यंत गंभीर विचाराधीन विषय में दोषी पाए जाने के अलावा:

- अशोभनीय व्यवहार के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सर्वाधिक बार सदन में नामित किए जाने का रिकॉर्ड रखना;
- सदन की कार्यवाही में बार—बार व्यवधान उपस्थित करने का इतिहास रचना;
- इतना विवेकहीन होना कि अध्यक्ष की अनुमति से सदन को संबोधित कर रहे सदन के नेता की ओर धमकी भरे तरीके से झपट पड़ना;
- इससे पहले भी एक बार सदन का माइक क्षतिग्रस्त करने के लिए आचरण समिति द्वारा विधिवत दोषी पाए जाने के बाद सदन द्वारा जुर्माना करने और उछुंखल व्यवहार के लिए चेतावनी पाने का रिकॉर्ड रखना;
- पिछली भूलों से उन्होंने कुछ सीखा है या उन्हें कोई पश्चाताप है, ऐसा कोई भाव प्रकट न करना;
तथा
- आदतन दोषी होना,

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति के समक्ष श्री ओम प्रकाश शर्मा को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधानसभा की सदस्यता से निष्कासित किए जाने की सिफारिश करने के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं है।

ह0 / -
(एस.के. बग्गा)
सदस्य

ह0 / -
(भावना गौड़)
सदस्य

ह0 / -
(दिनेश मोहनिया)
सदस्य

ह0 / -
(राजू धिंगान)
सदस्य

ह0 / -
(नारायण दत्त शर्मा)
सभापति, आचरण समिति
ह0 /
(चौ0 फतेह सिंह)
सदस्य

ह0 /
(रघुविन्दर शौकीन)
सदस्य

ह0 /
(अमानतुल्लाह खान)
सदस्य

ह0 / -
(सौरभ भारद्वाज)
सदस्य

दिल्ली
24 फरवरी, 2016